# कार्यालय, अधिष्ठाता
# छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

**E-Mail :-** deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

क्रमांक / स्था0 / विज्ञप्त / 2021 / 7828 छिन्दवाड़ा दिनांक – 06/04/2021

## विज्ञप्ति सूचना स्टाफ नर्स (संविदा कर्मियों हेतु)

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय परिचारिका संवर्ग(स्टाफ नर्स) आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिंदवाड़ा के अधीन स्वीकृत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की म.प्र. के शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पूर्ति की जाने हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया था। इस हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 भोपाल 05 जून, 2018 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25 जुलाई 2018 के तहत् भर्ती किये जाने वाले पदों का 20 प्रतिशत पद ऐसे संविदा कर्मचारियों से, जो 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो एवं पूर्व की संविदा सेवा का नियमित नियुक्ति में लाभ न लिया हो के आवेदन पत्र दिनांक 20/04/2021 सांय 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क इत्यादि की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट **www.govtmedicalcollegechhindwara.com** पर उपलब्ध है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20/04/2021 (शासकीय कार्य दिवस)

सीधी भर्ती:– स्टाफ नर्स –कुल पद 09 (संविदा कर्मियों हेतु)

| क्र. | पदनाम | संविदा हेतु विज्ञापित पद संख्या | आरक्षण रोस्टर | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनारक्षित | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| 1 | स्टॉफ नर्स | 09 | 03 | 01 | 02 | 02 | 01 |

- **स्टाफ नर्स (संविदा कर्मियों) हेतु न्यूनतम योग्यता:–**

1. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीवन विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. शासकीय बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित।
3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन।
4. अभ्यार्थी न्यूनतम पद पर आवेदन वर्ष की यह अवधि रिक्त 05 का है। रहना आवश्य वर्ष तक संविदा पर नियुक्त 05 करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण–पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण–पत्र यथा–स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

- **स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तें :–**

1. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
2. संविदा सेवा के कर्मी ही आवेदन हेतु पात्र रहेगे।

- वेतनमान एवं अन्य भत्ते:–

1. स्टॉफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) पर की जावेगी। 03 माह पश्चात् कार्यरत स्टॉफ नर्सो की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

2. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के परिपालन में परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

- आरक्षणः–

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग(केवल और क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागु होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा जारी किया गया हो।
4. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार द्विव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
5. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

| | |
|---|---|
| अस्थि बाधित | अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है। |

6. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रं. एफ–9–3/2012 आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सिंतबर 2012 के अनुसार देय रहेगा।
7. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

- आवेदन शुल्कः–
- अनारक्षित वर्ग हेतु 1000/–(एक हजार रूपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिये 800/– (आठ सौ रूपये राशि का) ........................................................................................ अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के नाम देय से प्रस्तुत करना होगा। रसीद के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा।

- आयु सीमा :–

| | |
|---|---|
| 1. अनारक्षित वर्ग हेतु | – न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष |
| 2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु | – न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकम 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट) |

नोटः– आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

- सामान्य शर्तें:–
  1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा द्वारा आवश्कयता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
  3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजानिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञाप्ति पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों का पूर्ण करते हो उन्हे दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
  4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
  5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
  6. अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी।
  7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
  8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मान्य होगा।
  9. ऐसे आवेदन जिसके दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
  10. वैवाहिक स्थिति– एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नही होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
  11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधकारी होंगी ।
  12. महिला स्टाफ नर्स की चयन सूची पृथक–पृथक तैयार की जावेगी।
  13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने के स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
  14. स्टाफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।
- सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र:–

स्टाफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की राशि की भांति वसूली योग्य होगी।

- निर्हतायें:—

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दियों जाएगा:—

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या।
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:—

   **अ.** उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही पति/पत्नी हो जीवित हो। ऐसे मामाले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्यापत कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छुट दे सकता है।

   **ब.** जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं पाए गए।

   **स.** किसी भी प्रकार के अपराध का दोष सिद्ध नहीं पाए गए।

   **द.** जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- चयन प्रक्रिया (स्टाफ नर्स का वैटेज निम्नानुसार रहेगा) :—

| Higher Secondary (12th) Percentage (%X0.2) (Max 20 Marks) | Bsc/GNM Percentage (%X0.5) (Max 50 Marks) | Bsc = 25<br>GNM = 20 | Msc = 05 | Total = 100 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- महत्वपूर्ण टीप :—

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा की वेबसाईट **www.govtmedicalcollegechhindwara.com** का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दवें। इस संबंध में छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा की कोई जबाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदन समय—समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दाबेदारी मान्य नही की जावेगी। साथ ही आवेदन द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
छिन्दवाड़ा(म0प्र0)

# छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा म0प्र0

## आवेदन प्रारूप

स्वप्रमाणित फोटो

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

आवेदन शुल्क (अनारक्षित –1000/– एवं अजा.,अजजा.,अपिव., ईडब्ल्यू.एस. .निःशक्तजन–800/–)

आर.टी.जी.एस.निम्नलिखित दर्शित के नाम से कर रसीद संलग्न करे।

| Account Details | |
|---|---|
| A/c Holder | Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara |
| Bank Name | State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh |
| A/c No | 37739004173 |
| IFSC | SBIN0000348 |

**पदनाम – स्टॉफ नर्स**

1. आवेदक का नाम ............................................ उपनाम .......................................

2. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित)..................................................................

4. जन्मतिथि (अंको में) ......................./ ......................./...............................

   जन्मतिथि (शब्दों में) ..........................................................................

5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)....................................................

   तहसील.........................जिला...........................राज्य ........................पिनकोड .........

   शहर का नाम............................... फोन नं...........................................................

   मोबाइल नं.................................ई–मेल आईडी...................................................

6. स्थाई पता.................................................................................................

   तहसील.........................जिला...........................राज्य ........................पिनकोड .........

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) छायाप्रति संलग्न करें।..................................................

7. अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।)

8. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि ......................................................

9. नर्सिंग कौसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक ................................. दिनांक ................

10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक .................................,दिनांक .........

11. सेवारत (नियमित/संविदा) होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र

संलग्न करे।

12. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करे।

13. विधवा/परित्यकक्ता/तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित पद्विषयक शपथ पत्र संलग्न करे।

14. शैक्षणिक योग्यताऐं:– **(प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)**

| क्रं | परीक्षा का नाम | शासकीय नर्सिंग स्कूल/शासकीय /स्वशासी एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय का नाम | वर्ष | विषय | प्राप्तांक / पूर्णांक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करे।)
   1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वी की अंकसूची।
   2. कक्षा 12 वी की अंकसूची ।
   3. स्नातक की अनुसूची।
   4. ई.डब्लू.एस./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भू.पू.सैनिक के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
   5. स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र।
   6. आधार कार्ड।
   7. अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य संथाओं में कार्यरत होने पर मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   8. अन्य प्रमाण पत्र।

स्थान..............................

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनॉक............................

## //स्वप्रमाणित शपथ पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आर.आई दर्ज नहीं है और मेरे विरूद्ध कोई विभागीय जांच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।
4. मुझ पर मध्यप्रदेश शासकीय/स्वशासी चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 के नियम एवं संशोधित नियम पूर्णरूपेण बंधनकारी होगे।
5. मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न जानकारी, दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति कूट रचित/फर्जी पाई जाती है, मेरी उम्मीदवारी निरस्त मान्य करते हुये मेरे ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जावें।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर